संख्या-25/2023 /001-412-24-1-2023-1833-2015 TC 4

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रों संख्या-1384/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक/2022-23/426, दिनांक 09.12.2022, पत्र संख्या-1512/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक2022-23/426, दिनांक 31.12.2022, पत्र संख्या-1605/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 18 जनवरी, 2023, पत्र संख्या-1627/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 20 जनवरी, 2023, पत्र संख्या-1635/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 23 जनवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-1728/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 03 फरवरी, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-06-190-05-30" में प्राविधानित धनराशि रूपये 70,00,00,000/- (रूपये सत्तर करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये 46,67,91,824/- (रूपये छियालिस करोड़ सड़सठ लाख इक्यांनवे हजार आठ सौ चौबीस मात्र) में से धनराशि रूपये 14,51,50,021/- (रूपये चौदह करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार इक्कीस मात्र) को प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित डिस्काम्स को संलग्नक में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं के भुगतान हेतु किया जायेगा एवं उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी क्लेम के सापेक्ष दोहरा भुगतान न होने पाये।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) फर्मों को भुगतान करने के पूर्व विद्युत वितरण निगमों से प्राप्त प्रमाण-पत्र एवं प्रपत्रों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि फर्म द्वारा क्लेम की जा रही वैट की धनराशि दिनांक 01 जुलाई, 2017 के पूर्व की ही हो।

(5) वैट की उक्त धनराशि भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दावा की गयी वैट की धनराशि वास्तव में राजकोष में जमा की जा चुकी है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,51,50,021 (रुपये चौदह करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार इक्कीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801061900500 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना / दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-154-X-2022-23-दिनांक:3-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सत्यवान सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2023/001-412(1)-24-1-2023-1833-2015 TC 4, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त(वयय-नियंत्रण)अनुभाग-10/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सत्यवान सिंह
संयुक्त सचिव।